न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या — 05 / 2019 आर.टी.आई.
दायर दिनांक — 16.12.2019
निर्णय दिनांक — 15.01.2020

श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :—

श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 07.12.2019 (दिनांक 11.12.2019 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त एवं अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्र क्रमांक 7406 दिनांक 16.12.2019 से श्री कैलाश चन्द्र डाड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील का जवाब चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष / प्रति—उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 18.12.2019 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र डॉड द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 दिनांक 06.11.2019 (26.11.2019 को प्राप्त) से चाही गयी सूचना 3 पृष्ठ में होने से नियमानुसार राशि रू. 6/— जमा कराने बाबत पत्रांक 7324 दिनांक 03.12.2019 से अपीलार्थी को सूचित किया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क आदिनांक जमा नहीं कराया गया। न्यायहित में अपीलार्थी को पूर्व में प्रेषित की जाने वाली सूचना की विशिष्टताओं मय परिशिष्ट वांछित बिन्दुवार सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई गई।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं।

अपीलार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड ने लिखित प्रतिक्रिया दिनांक 30.12.2019 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदन की बिन्दु संख्या—3 में कार्यालय द्वारा

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ को जारी नोटिस क्रमांक 6504 दिनांक 03.08.2017 एवं 7340 दिनांक 19.07.2017 की प्रमाणित छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक उपलब्ध नहीं कराई गई। पत्र दिनांक 18.12.2019 में वर्णित सूचना पत्र भी दिनांक 20.12.2019 को उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2019 की बिन्दु संख्या–3 की वांछित सूचना आवेदन के अनुरूप अतिशीघ्र एवं निःशुल्क दिलवाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2019 से चाही गयी सूचना 3 पृष्ठ में होने से नियमानुसार राशि रू. 6/– जमा कराने बाबत पत्रांक 7324 दिनांक 03.12.2019 से अपीलार्थी को सूचित किया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क आदिनांक जमा नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकती है कि लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहे है। अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया से अपूर्ण सूचना का विवरण प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या–3 की वांछित सूचना अतिशीघ्र एवं निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जारी निःशुल्क सूचना के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नोटिस क्रमांक 6504 दिनांक 03.08.2017 एवं 7340 दिनांक 19.07.2017 प्रदान नहीं की गई यद्यपि आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2019 में उक्त सूचना हेतु मांग किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। किन्तु नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते उक्त सूचना प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। लोक सूचना अधिकारी नोटिस क्रमांक 6504 दिनांक 03.08.2017 एवं 7340 दिनांक 19.07.2017 की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाएं।

अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

178-179
15-01-2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01– लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02– श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड, निवासी मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर